न्यायालय, सब जज–द्वितीय, डुमरॉव, बक्सर

टी0 एस0 सं0–225/2018

23.08.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दिए गए आवेदन दिनांक–28.06.2024 आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 एवं लिमिटेशन ऐक्ट धारा 5 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का अपने आवेदन पर कहना है कि उपरोक्त मुकदमा के मुदई नंबर–1 बचन यादव की मृत्यु दिनांक–17.04.2024 को हो गई है। मृतक वादी की एक पत्नी वो 5 पुत्र एवं दो पुत्रियॉ है। अतः निवेदन है कि मृतक मुदई नंबर–1 बचन यादव का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुदई के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–28.06.2024 पर मौखिक विरोध किया गया। उनका कथन है कि वादी द्वारा दिनांक–28.06.2024 को दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्तर्गत नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी नंबर–1 बचन यादव की मृत्यु दिनांक–17.04.2024 को हो चुकी है। वादी द्वारा विलम्ब माफी हेतू धारा 5 लिमिटेशन ऐक्ट का आवेदन दाखिल किया गया है। वादी द्वारा शपथ पत्र से समर्थित आवेदन दाखिल किया गया है। वादी की तरफ से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन समय–सीमा के अन्तर्गत नहीं है। अतः वादी द्वारा दाखिल विलम्ब माफी आवेदन को 200 रूपया खर्च पर स्वीकृत

किया जाता है पश्चात् न्यायहित में वादी का प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–28.06.2024 को स्वीकृत किया जाता है।

वादी के अधिवक्ता कार्यालय लिपिक के समक्ष वाद पत्र से वादी बचन यादव का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसानों अभीराजो देवी, सुरेश यादव, विपीन बिहारी यादव, हरेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादव, जितेन्द्र यादव, मंजू देवी एवं संजू देवी का नाम प्रतिस्थापित करें।

दिनांक–08.10.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–द्वितीय, डुमरॉव